(वाद संख्या–2224/18)

13.01.2020

परिवादी फिरोज खान, पुत्र स्व0 मनीर खान, पता दक्षिण टोला, सिवान, पो0 सिवान, थाना सिवान, जिला सिवान (बिहार), मो0 नं0–9199657786 उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

पुलिस उपाधीक्षक, सिवान से मांगा गया प्रतिवेदन अप्रापत है। प्रस्तुत मामला नगर (सिवान) थाना कांड संख्या–452/16 व 506/16 के विचारण को बिहार राज्य से बाहर हस्तांतरित करने हेतु दिया गया है। उपरोक्त दोनों कांडों के अभियुक्तगण कुख्यात अपराधीगण हैं तथा बिहार में उपरोक्त दोनों कांडों की सुनवाई होने पर परिवादी को सही न्याय नहीं मिलने की आशंका है। साथ–ही–साथ स्वयं परिवादी को भी साक्ष्य के क्रम में या साक्ष्योपरान्त अपनी हत्या की आशंका है। परिवादी का यह भी कथन है कि उपरोक्त दोनों कांडों के एक साक्षी (श्याम बाबू उर्फ जावेद अहमद) की हत्या की जा चुकी है जिसमें उसके द्वारा संस्थित प्रसंगाधीन उपरोक्त दोनों कांडों के अभियुक्तगण आरोपी हैं। परिवादी का यह भी कथन है कि उसकी ओर से प्रसंगाधीन दोनों कांडों के विचारण को बिहार राज्य से बाहर हस्तान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में भारत के मुख्य न्यायाधीश से गुहार लगायी गयी है।

राज्य से बाहर किसी मामले की सुनवाई के हस्तांतरण का क्षेत्राधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को है। आयोग के स्तर पर इस संबंध में कोई निर्देश/आदेश दिया जाना उचित नहीं रहेगा।

जहां तक परिवादी की सुरक्षा का प्रश्न है आरक्षी अधीक्षक, सिवान को यह निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों के आलोक में परिवादी व उसके परिवार की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित की जाय जिससे की वह निर्भीक होकर न्यायालय में अपना साक्ष्य दे सके।

उपरोक्त निर्देश के साथ प्रसंगाधीन मामले को समाप्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी फिरोज खान, पिता स्व0 मनीर खान, साकिन दक्षिण टोला, सिवान, पो0+थाना+जिला सिवान को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक